स्पीड पोस्ट

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : एफ 2(1) संस्था/रालोसेआ /21–22/2720 दिनांक : 02/09/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम 2020) के नियम 3(8) में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.02.21 की अभिशंसाओं का सक्षम स्तर पर अनुमोदन उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम एवं विनियम, 1999 के अन्तर्गत निम्नांकित खिलाड़ियों को लिपिक ग्रेड–II के पद पर वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.06 तथा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) राशि रू. 14600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर लिपिक ग्रेड–।। पद पर नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	खेल	पदक	जन्म दिनांक	प्राथमिकता
1	संजू कुमारी/ श्री श्याम सुन्दर	ओबीसी PH (LD/CP)	एम.एस.सी. बी.एड.	पैरा एथलेटिक्स	स्वर्ण	02.04.1992	प्रथम
2	बृजेश्वरी शर्मा/ स्व. श्री शंकर दयाल शर्मा	सामान्य PH (LD/CP)	बी.ए.	पैरा पावर लिफ्टिंग	स्वर्ण	07.07.1975	प्रथम

शर्तेः–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय सत्यापित प्रतियों के प्रस्तुत करना होगा, ताकि आयोग स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति (यदि लागू हो तो) लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएँ एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
3. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
4. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही लिपिक ग्रेड–।। पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर भत्ते इत्यादि देय होंगे।
7. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. शासन के वित्त (नियम डिविजन) विभाग, राज0, जयपुर द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 28.01.04 व 27.03.04 के तहत् दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती/नियुक्ति पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
9. वित्त विभाग (नियम डिवीजन), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 14.01.04 के अनुसार दिनांक 01.01.04 को अथवा इसके पश्चात् नई भर्ती/नियुक्ति पर राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 2008 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है। उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
12. उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता/प्रशैक्षणिक योग्यता/आयु/वर्ग/ अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की भौतिक जांच के उपरान्त चयन स्पष्ट होने के अध्यधीन रहेगी।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ–पत्र/धूम्रपान नहीं करने/दहेज नहीं लेने/ दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ–पत्र तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, अन्तिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
14. संबंधित अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन संबंधी कार्यवाही आयोग में कार्यग्रहण के उपरान्त की जावेगी तथा पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय

का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

15. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन जो प्रतिकूल ना हो। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेगी।
16. उक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम 2020) के नियम 3(10) के अनुसार निर्धारित होगी।
17. उक्त अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है। अतः वरिष्ठता का निर्धारण का क्रम नियमानुसार (पदोन्नति/सीधी भर्ती/खिलाड़ी कोटा) होगा।
18. नियम 3(6) के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को 05 वर्ष की कालावधि में लिपिक ग्रेड–II पद के लिये अपेक्षित अर्हताऐं अर्जित करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।
19. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6) एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2) एफ.डी./रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1) एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.17 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
20. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय संलग्नक परिशिष्ट– 'अ' के अनुसार वांछित शपथ पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
21. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी।
22. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न : परिशिष्ट – अ ।

(शुभम् चौधरी)
सचिव

परिशिष्ट—अ

1.	सैकण्डरी	
2.	सीनियर सैकण्डरी	
3.	स्नातक	
4.	अधिस्नातक	
5.	अन्य योग्यता	
6.	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7.	जाति प्रमाण पत्र	
8.	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9.	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10.	धूम्रपान न करने संबंधी शपथ पत्र (साधारण कागज पर)	
11.	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो ता सत्यापित प्रति) — परिशिष्ट—ब	
12.	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट—स	
13.	दहेज न लेने का शपथ पत्र — परिशिष्ट—द	
14.	पत्र व्यवहार का पता	
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
16.	पते का प्रमाण पत्र, यथा—बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस	
17.	अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए)	
18.	स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित	
19.	अन्य वांछित दस्तावेज (खेल एवं योग्यता से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र मय स्वप्रमाणित प्रतिलिपि)	